न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 80/2017 अपील

उनवान

श्री नानूराम पिता पन्ना जाट गोदपुत्र नारायण जाट निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
—— अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला–भीलवाडा (राज0)
——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा75 रा0भू0रा0अधिनियम 1956 विरूद्ध तहसीलदार बनेड़ा प्र0सं0 07/2016 दिनांक 19.12.2016

उपस्थित :– श्री गोपाल अजमेरा अधि0 अपीलार्थी की ओर से
राजकीय अधि0 श्री विपुल बापना उपस्थित

निर्णय

दिनांक : 03/07/2018

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0भू0रा0 अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार बनेड़ा प्रकरण संख्या 07/2016 निर्णय दिनांक 19.12.2016 के खिलाफ दिनांक 18.01.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम मेघरास में स्थित आ0नं0 268, 269, 270, 271, 279, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 295, 296, 298, 311, 396, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426 एवं 1511 कुल कीता 26 रकबा 60 बीघा 5 बिस्वा जिसमें 3/8 हिस्से का 1/3 हिस्सा यानी कुल खाते का 3/24 हिस्सा एवं आराजी संख्या 277, 368, 369, 416, 418, 451 कीता 6 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा में से 1/4 का 1/3 हिस्सा यानि कुल खाते का 1/12 हिस्सा श्री नारायण ने प्रार्थी अपीलान्ट के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 13.03.2012 से वसीयत की। श्री नारायणजी का निधन दिनांक 26.05.2014 को हो गया। इस कारण वसीयतनामें उनकी खातेदारी की सम्पूर्ण आराजीयात प्रार्थी अपीलान्ट में निहित हुई है इसलिये खाता प्रार्थी के नाम खोले जाने का नामान्तरकरण खुलवाया जावे। माननीय तहसीलदार साहब द्वारा निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत किया है। क्योंकि कोई सम्पत्ति मात्र पैतृक होने के आधार पर उस सम्पत्ति के वसीयत किये जाने में किसी प्रकार की रोक नहीं होती है क्योंकि वादग्रस्त आराजीयात भले ही पैतृक आधार पर श्री नारायण जाट में निहित हुई हो लेकिन उस आधार पर श्री नारायणजी वादग्रस्त आराजीयात के एक मात्र मालिक होकर खातेदार थे एवं विरासत से निहित आराजीयात को स्वयं के जीवनकाल में उन्हें हर पकार से जरिये अन्तरण अथवा वसीयत नामे से अन्तरण करने का पूरा अधिकार था इस पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। खातेदार नारायणजी के कोई जाईन्दा पुत्र, पुत्री नहीं है एवं पत्नि भी फौत हो चुकी थी।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

नारायणजी की सेवा सुश्रुषा एवं अन्तिम क्रियाकर्म भी अपीलान्ट ने ही किया एवं अपीलान्ट को ही नारायणजी ने गोद भी लिया था इसके आधार पर अपीलान्ट ही एक मात्र वारिस है। अतः निवेदन है कि मृतक नारायणजी के खातेदारी की कृषि आराजीयात ग्राम मेघरास तहसील बनेड़ा में स्थित उसके खातेदारी की सम्पूर्ण आराजी संख्या 268, 269, 270, 271, 279, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 295, 296, 298, 311, 396, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426 एवं 1511 कुल कीता 26 रकबा 60 बीघा 5 बिस्वा जिसमें 3/8 हिस्से का 1/3 हिस्सा यानी कुल खाते का 3/24 हिस्सा एवं आराजी संख्या 277, 368, 369, 416, 418, 451 कीता 6 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा में से 1/4 का 1/3 हिस्सा यानि कुल खाते का 1/12 हिस्सा श्री नारायण ने प्रार्थी अपीलान्ट के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 13.03.2012 के आधार पर अपीलान्ट पक्ष में खोले जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 06.10.2017 को अति0जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के पत्रांक 6785 दिनांक 03.10.2017 से स्थानान्तरण से प्राप्त होने पर पंजीबद्ध की गई। वकील अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अपील के साथ अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बनेड़ा के प्रकरण संख्या 07/2016 आदेशिका दिनांक 19.12.2016 की प्रमाणित फोटो प्रति प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय से उक्त आदेश सम्बधी रिकार्ड तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से रिकार्ड/रिपोर्ट प्राप्त होने पर दिनांक 26/06/2018 को वकील अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई बहस में वकील अपीलान्ट द्वारा अपील के तथ्यों को दोहराते हुए अपील को स्वीकार किए जाने अथवा रिमाण्ड किए जाने का निवेदन किया। इस सम्बन्ध में विधिक दृष्टान्त आर0आर0डी 14.01.2016 श्रीमती भूर कुंवर राजपूत व अन्य बनाम श्रीमती जगू कुंवर नटनी व अन्य का उद्धरण प्रस्तुत किया। राजकीय अभिभाषक के द्वारा बहस में निवेदन किया कि भूमिधारी तहसीलदार बनेड़ा के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.12.2016 उचित होने से यथावत रखते हुए अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

हमने प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील मेमो में विवाद का विषय यह रहा कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बनेड़ा के द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में पंजीबद्ध वसीयतनामा दिनांक 13.03.2012 के आधार पर प्रकरण संख्या 07/2016 दिनांक 19.12.2016 से आदेश पारित करते हुए अपीलार्थी के नाम स्व0 नारायण जाट के खातेदारी एवं हिस्से की ग्राम मेघरास की आ0नं0 268, 269, 270, 271, 279, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 295, 296, 298, 311, 396, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426 एवं 1511 कुल कीता 26 रकबा 60 बीघा 5 बिस्वा जिसमें 3/8 हिस्से का 1/3 हिस्सा यानी कुल खाते का 3/24 हिस्सा एवं आराजी संख्या 277, 368, 369, 416, 418, 451 कीता 6 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा में से 1/4 का 1/3 हिस्सा यानि कुल खाते का 1/12 हिस्से के सम्बन्ध में यह निर्णय पारित किया कि वादोक्त भूमि पैतृक है परन्तु अपीलार्थी के द्वारा उक्त कथन के खण्डन में

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर यह सिद्ध नहीं कराई कि वादोक्त भूमि स्वर्गीय नारायण जाट की स्वअर्जित भूमि हो। नामान्तरकरण की प्रक्रिया संक्षिप्त प्रक्रिया (summary proceeding)होकर सरसरी कार्यवाही (Fiscal proceeding) है जिसमें किसी पक्ष के स्वत्व का निर्धारण नहीं किया जाता है। स्वत्व का निर्धारण नियमित वाद प्रस्तुत करने के उपरान्त सक्षम न्यायालय द्वारा किए जाने के विधिक प्रावधान है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त आर0आर0डी 14.01.2016 श्रीमती भूर कुंवर राजपूत व अन्य बनाम श्रीमती जगू कुंवर नटनी व अन्य का उद्धरण यहां लागू नहीं होता है। ऐसी स्थिति में स्व0 नारायण जाट को अकेले अपीलार्थी के नाम पर वसीयत करने का अधिकार नहीं होने से अपीलार्थी का आवेदन अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बनेड़ा ने अपने आदेश दिनांक 19.12.2016 से खारिज किया जिसमें हमारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतएवः—

आदेश

उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0भू0रा0 अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार बनेड़ा प्रकरण संख्या 07/2016 ग्राम मेघपुरा निर्णय दिनांक 19.12.2016 को यथावत रखते हुए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 03/07/2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
भीलवाडा